कामकाजी महिला

वर्ष 7 अंक 5 फरवरी 1995 मूल्य : 2 रुपये

सम्पादकीय

1994 जन साधारण के लिये अपार कष्टों का वर्ष रहा

वर्ष 1994 जो अब बीत चुका है देश के जनसाधारण के लिये अपार कष्टों का वर्ष रहा। हमारे प्रधानमंत्री या डाक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप देश की अनुकरणीय प्रगति एवं उन्नति के संबंध में चाहे नित्य प्रतिदिन जो भी बड़े-बड़े वक्तव्य क्यों न देते रहे हों किंतु तथ्य तो यह है कि सड़क पर विराजमान साधारणतम व्यक्ति के दैनंदिन अनुभवों से वे मेल नहीं खाते। वर्षों से बेरोजगारी की विभीषिका झेल रहे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सका। वह आज भी भूखों मरने पर विवश है। जो लोग रोजगार प्राप्त हैं, उनकी छंटनी की जा रही है या उनसे सवैच्छिक सेवानिवृति योजना को स्वीकार करने के लिये कहा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की संख्या लाखों में पहुंच गई है जिनमें कामबंदी हो चुकी है। हमारे देश की गृहणियां आसमान को छू रहे ऊंचे मूल्यों के कारण अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुएं भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। चीनी बीस रुपये प्रति किलो की दर से बेची गई है। प्रधानमंत्री के उन आश्वासनों का क्या हुआ जो उन्होंने सत्तासीन होते समय राष्ट्र के साथ किये थे। उन्होंने कहा था कि सौ दिन के भीतर मूल्यों को कम कर दिया जाएगा। इसके बिपरीत जन वितरण प्रणाली धाराशायी हो गई है और राशन की दुकानें खाली प्राय: दिख रही हैं। यह सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की मांग पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सब्सिडी वापस लिये जाने के परिणामस्वरूप हुआ है। जन साधारण का क्या होगा, यह बात कांग्रेस सरकार के लिये चिंता का विषय नहीं है।

महिलाओं के साथ छेड़खानी या बलात्कार की घटनाएं नित्य प्रतिदिन घटित होने वाली संवृत्ति बन चुकी हैं। बलात्कारी पुलिस का कर्मचारी हो या मुख्यमंत्री का बेटा! एक 5-7 वर्षीय नन्हीं सी अबोध बालिका को किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसमें उसका पड़ोसी या संबंधी भी शामिल है, अपनी हवस का शिकार बना लिया गया। दैनिक समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से ऐसे जघन्य समाचारों का प्रसारण-प्रकाशन होता है तो हमारे रौंगटे खड़े हो जाते हैं।

नागपुर की त्रासदी! जब 23 नवंबर को 127 जन जातीय लोग

इस अंक में

संपादकीय	2
बलात्कारी विधायक के विरुद्ध पटना में जोरदार प्रदर्शन	4
रायल इंडिया नेवी के नाविकों की शौर्य गाथा	5
कामकाजी महिलाओं को उचित वेतन नहीं मिलते	9
भुखमरी के पंजों में जकड़ा बचपन	10
मकान किराया भते के लिए बीड़ी महिलाओं का संघर्ष	11
महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम की दुर्गत	12
रूस में बाजार अर्थ व्यवस्था कामकाजी महिलाओं के जी जंजाल बनी	13
कामकाजी महिलाओं की पश्चिम बंगाल उप समिति	14
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा तम्बाकू विधेयक का विरोध	15
पाकिस्तान ट्रेड यूनियनें अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगी	15
कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वयक समिति की बैठक	16

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं. 3714071) सम्पादित और प्रकाशित प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित।

भगदड़ में मारे गए थे। मरने वालों में सौ महिलाएं तथा बच्चे थे जो प्रदर्शन की अग्रिम पंक्तियों में चल रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शरद पवार ने न घटनास्थल पर जाना उचित समझा और न ही पीड़ित लोगों के पास जाकर सहानुभूति के दो शब्द कहने की आवश्यकता अनुभव की। उससे कुछ दिन पूर्व बिहार में भी ऐसी ही जघन्य घटना घटी थी। वहां सैकड़ों जन जातीय लोगों का संहार किया गया।

यदि हम कांग्रेस की आंतरिक कलह जिसका रंग बदल रहा है, पर दृष्टिपात करें तो मरने वाले लोगों या जिनकी हत्याएं की गईं हैं, की सूची और भी लम्बी हो सकती है। पिछले वर्ष का एक और पक्ष उल्लेखनीय रहा है। वह है–रेलवे, बसों, इत्यादि की दुर्घटनाओं की भारी संख्या। इसके कारण उन सैकड़ों व्यक्तियों को अकारण ही अपने प्राण गंवाने पड़े। 26 अक्टूबर को बम्बे मेल की दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 200-300 व्यक्ति मारे गए। यह तो मात्र एक दृष्टांत हैं। आत्म सम्मान रखने वाला कोई भी रेल मंत्री तुरंत पद त्याग कर देता, किन्तु हमारे रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार की ओर से न सहानुभूति व्यक्त की गई और न ही क्षतिपूर्ति दी गई। यह दुर्घटना हुई और भुला भी दी गई। क्या इसके लिये उत्तरदायी सम्बन्धित मंत्रालय ने इस दुर्घटनाओं के कारणों की छानबीन करने या भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के उपायों पर विचार करने के लिये कोई बैठक बुलाने का कष्ट किया है?

तथापि हमारे यहां कांग्रेस या अन्य दलों की ओर से लड़कियों की संख्या कम होने, महिलाओं के लिये 30% आरक्षण तथा ऐसे ही विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन आए दिन किया जाता है। किन्तु इससे हमारी महिलाओं तथा जनसाधारण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

क्या भ्रष्टाचार या घोटालों की कोई सीमा है? नीचे से लेकर ऊपर तक अर्थात् चहुं ओर इनकी कथाएं सुनने को मिल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी इससे निर्लिप्त नहीं हैं। चीनी घोटाले के कारण तो कांग्रेस सरकार संसद का सामना करने का साहस ही नहीं जुटा पा रही है। चीनी के आयात में देरी के लिये किसे उत्तरदायी करार दिया जाय, यह नाटक अनवरत जारी है। संसद में तीन दिन तक 'हंगामा' होता रहा। इसके पश्चात् सम्बन्धित मंत्रियों को त्यागपत्र देने पर विवश होना पड़ा।

हमारी शिक्षा प्रणाली की स्थिति भी अत्यंत विपादपूर्ण है। केरल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी जिसमें पांच छात्रों की मृत्यु हो गई थी, इसकी एक उदाहरण है। उन छात्रों का यही अपराध था कि वे शिक्षा प्रणाली का निजीकरण न करने की मांग कर रहे थे।

भारी आलोचना होने पर भी दूरदर्शन, सिनेमा, अन्य प्रचार माध्यमों या विज्ञापनों में हिंसा से परिपूर्ण या अश्लील चित्रों एवं चलचित्रों के प्रदर्शन पर अंकुश नहीं लग सका है। हमारी भावी पीढ़ियां पश्चिमी पद्धति के आधार पर बने ऐसे चल चित्रों से प्रभावित हो रही हैं। अनेक हित चिंतकों ने विचार व्यक्त किया है कि चल चित्रों में ऐसे हिंसात्मक एवं अश्लील दृश्य देख कर हमारी युवा पीढ़ी हत्याएं, बलात्कार तथा महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी आपराधिक कार्रवाइयां करने की ओर प्रवृत हुई है। सेंसर बोर्ड द्वारा निर्माताओं को ऐसे चलचित्र बनाने से रोकने के लिये कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

समाज में इस प्रकार की दुखद घटनाओं जिनके कारण मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, की पुनरावृत्ति को देखकर कोई भी व्यक्ति दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। व्यापारिक सम्बन्धों पर आधारित पश्चिम के जीवन मूल्य हमारी जनता के दैनंदिन जीवन की स्थायी संवृत्ति बन चुके हैं। ऊपर वर्णित सभी घटनाएं इस दुखद स्थिति का बखान करती हैं जिनसे आज हमें दो-चार होना पड़ रहा है। बीता हुआ वर्ष हमारे सामने एक उदाहरण है। वह हमें बताता है कि वर्तमान वस्तुस्थिति क्या है और हम उसके विरोध में संघर्ष कैसे कर सकते हैं।

कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत भयावह स्थितियाँ होने पर भी चार राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उस दल की अपमानजनक पराजय को अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिए। इसी दल तथा इसके सहयोगी दलों को नेपाल में भी अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा था। वहां नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी अब सत्ता में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में निराशा का मुंह देखना पड़ा। वहां भले ही उसे ४० सीटें प्राप्त हुई हैं तथापि उसका मत-प्रतिशत कम हो गया है। वास्तव में यह हमारे देश के जनगण के मत की अभिव्यक्ति (जनमत) ही है। चार अन्य राज्यों में भी चुनावों की घोषणा की गई है। इसकी प्रति छाया उस चुनाव पर भी पड़ सकती है।

आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम तथा कर्नाटक में जनता दल का कर्त्तव्य बन जाता है कि वे अपने चुनावी आश्वासनों एवं प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करें तथा जनता -जनार्दन को न्यूनाधिक राहत पहुंचाएं।

[शेष पृष्ठ 8 पर]

बलात्कारी विधायक के विरुद्ध पटना में जोरदार प्रदर्शन

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के तत्वाधान में ४००० से अधिक महिलाओं ने गत 25 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। वे जनता दल विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार को तुरंत गिरफ्तार करने तथा विधान सभा की सदस्यता से निलम्बित करने की मांग कर रहीं थीं। महिलाओं ने इस जुझारू प्रदर्शन का आयोजन उपरोक्त विधायक तथा उसके अन्य समाज विरोधी एवं आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले सहयोगियों द्वारा एक नन्हीं तथा अवयस्क जन जातीय बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार करने के विरोध में किया था। रोष की इस कार्रवाई का नेतृत्व संगठन की अखिल भारतीय महासचिव कामरेड वृंदा कारात, सचिव श्यामली गुप्त तथा संसद सदस्या प्रो: चन्द्र कला पांडेय कर रहीं थीं। नेतृत्वकारी साथियों में समिति की राज्य स्तरीय नेता श्रीमती सुधा बिंदु मिश्रा, संध्या बख्शी, रामपरी इत्यादि शामिल थीं। प्रदर्शन के आगे-आगे चलने वाली नेत्रियों में राज्य के 12 जिलों से आई नेता भी शामिल थीं। समिति ने अन्य जिन प्रमुख मांगों को उठाया, उनमें ७०,००० ग्रामीण स्वास्थ्य सेविकाओं जिन्हें महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता, को वेतन का नियमित भुगतान करने; महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने; भूमिहीन तथा गृह विहीन महिलाओं के लिये संयुक्त पट्टों का प्रावधान करने; विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा पेनशन; समान काम के लिये समान वेतन तथा राज्य महिला आयोग का गठन करने जैसी मांगें शामिल थीं।

महिलाओं ने एक-दूसरी का हाथ पकड़ कर मानव श्रृंखला बना ली तथा इस प्रकार वे पटना शहर की सभी प्रमुख सड़कों में फैल गई थीं। उन्होंने हाथों में झंडे उठा रखे थे जिन पर उनकी विभिन्न मांगें अंकित की गई थीं। प्रदर्शन में भाग लेने के लिये जहां धनबाद कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाएं भारी संख्या में शामिल थीं, वहीं खेतों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी तो कम नहीं थी। ये महिलाएं समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा, सहरसा, सौपाल इत्यादि जिलों से आई थीं। पटना से विभिन्न संगठनों के साथ सम्बन्ध रखने वाली मध्यम वर्ग की महिलाओं तथा छात्रों ने भी इस प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस प्रदर्शन एवं जनसभा की तैयारियों के सम्बन्ध में जनवादी महिला समिति की राज्य स्तरीय नेताओं ने राज्य भर का दौरा किया था।

बेली गंज सड़क के चौराहे पर पुलिस ने लोहे के भारी अवरोध खड़े किये थे किन्तु हाल ही के बलात्कार कांड, राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण तथा अकर्मण्यता से क्रुद्ध महिलाओं ने पुलिस को अवरोध हटाने पर विवश कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन ने एक विराट जनसभा का रूप ले लिया। इसकी अध्यक्षता जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष श्रीमती संध्या बख्शी ने की जबकि कामरेड वृंदा कारात, श्यामली गुप्त, चन्द्र कला पांडेय, सुधा बिंदु मित्रा तथा रामपरी इत्यादि नेताओं ने उसे सम्बोधित किया। जन सभा के पश्चात् एक शिष्टमण्डल राज्यपाल डाक्टर ए आर किदवाई से भेंट करने के लिये गया। मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव उस दिन कहीं बाहर गए हुए थे।

सायंकाल संवाददाता सम्मेलन का अयोजन किया गया। उसे सम्बोधित करते हुए कामरेड वृंदा कारात ने कहा कि यह प्रदर्शन राजनीति के अपराधीकरण तथा अकर्मण्यता और महिलाओं के लैंगिक शोषण हेतु राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किये जाने के विरोध में चलाए जाने वाले आंदोलन का पहला चरण था। उन्होंने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि इस जघन्य सामूहिक बलात्कार कांड होने के दस दिन बाद भी बिहार सरकार अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस कांड के अपराधी विधायक को सत्ताधारी दल से निलम्बित करने के बाद भी उसे राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। बिहार सरकार की ऊपर वर्णित विफलता इसका स्पष्ट संकेत है।

जनवादी महिला समिति ने अपने ऊपर होने वाले कामुक हमले का साहसपूर्वक प्रतिकार करने पर जनजातीय लड़की को बधाई दी और मांग की गई कि बिहार सरकार उसे शौर्य पुरस्कार प्रदान करे तथा उसका सम्मान किया जाए।

त्रिवेणीगंज के गांव छटापुर में भी 2 दिसम्बर को एक विराट जन सभा का आयोजन करके इस साहसी बालिका का सम्मान किया गया तथा आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की गई। जनसभा में विचार व्यक्त किया गया कि सामाजिक न्याय का नारा लगाने तथा लैंगिक शोषण एवं हिंसा का बढ़-चढ़ कर विरोध करने पर भी बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक न्याय दिलाने के लिये एक भी ठोस कदम नहीं उठाया है। □

रायल इंडियन नेवी के नाविकों की शौर्य गाथा

□ विमल रणदिवे

रायल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों के शानदार और वीरोचित संघर्ष का स्मरण हम आज भी करते हैं। विशेष रूप से उस समय जब कांग्रेस के नेता तथा उनकी सरकार राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को निर्लज्जतापूर्ण ढंग से तिलांजलि देकर पूरे देश को ही अमरीका के पास बेच रही हो तो उन वीर नाविकों के संघर्ष की याद बरबस ही ताजा हो जाती है। सैकड़ों नाविकों ने इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहूति दी; वे सभी तलवार, हिंदुस्तान एच आइ एम एस; भदुर, चमक इत्यादि जहाजों पर तैनात थे; पूरे एक सप्ताह तक उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में सशस्त्र क्रांतिकारी जुझारू संघर्ष किया था। अपने ब्रिटिश आकाओं के विरुद्ध उनके द्वारा विद्रोह करने का प्रधान कारण क्या था?

ब्रिटिश शासन काल में शायद ही कोई क्षण ऐसा व्यतीत होता होगा जब नेवी के जहाजों पर तैनात भारतीय सिपाहियों को अपमानित नहीं किया जाता था। लगभग एक हजार नाविकों ने यहां 18 फरवरी 1946 को प्रातः 8 बजे अपने संघर्ष का बिगुल बजा दिया। उन्होंने नाश्ता लेने से इंकार कर दिया और इसके पश्चात वे मैस से बहिर्गमन कर गए। आखिर क्यों? उनका खाना बहुत ही घटिया था। वह मनुष्यों के खाने योग्य नहीं था। अनेक बार शिकायतें करने पर भी उन्हें वही खाना परोसा जाता रहा। कमांडर किंग उन्हें अश्लील गालियां देकर अपमानित करता था। वह कहा करता था, ''यू बास्टर्ड, यू मिजरेबल क्रास बिटविन ए मिग एण्ड ए गोट, यू हैव बीन स्लीपिंग आल दीज यीअर्स विद युअर मदर्स एण्ड सिसटर्स...'' (तुम दोगली नस्ल के हो, सूअर और बकरी की औलाद, सारी आयु तुम लोग अपनी माताओं तथा बहिनों के संग सोते रहे हो...।) क्या आत्म सम्मान रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी भद्दी गालियों तथा अपमानजनक भाषा को सुन सकता है? पहले ही वेतन, कल्याणकारी सेवाओं, सुविधाओं इत्यादि मामलों में इन नाविकों के साथ पक्षपात किया जाता था। 18 फरवरी को इसकी परिणति हो गई थी। मैस में से बहिर्गमन करते समय नाविकों का क्रोध चर्मोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। इसे देखकर कमांडर स्तब्ध रह गया था, इसमें संदेह नहीं। तलवार तथा अन्य जहाजों के नाविक भी इस रोष प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे, इसकी तो उसे आशा ही नहीं थी। इस पर भी उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया।

दूसरे दिन 19 फरवरी, 1946 को विरोध हड़ताल और फैल गई जबकि बम्बई तथा उसके उप नगरों के निकट स्थित लगभग बीस जहाजों के बीस हजार नाविक भी उसमें शामिल हो गए। कमांडर ने देखा कि नाविकों ने जहाज पर लगे यूनियन जैक को हटाकर उसके स्थान पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिये। वे जयहिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदु-मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आइ एन ए के कैदियों को रिहा करो जैसे नारे लगा रहे थे। पूरा वातावरण देशभक्ति की भावनाओं तथा ब्रिटिश शासकों के प्रति रोष से परिपूर्ण था। इन नाविकों की ओर से शुरू किये गये संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन दिनों विभिन्न जहाजों के नाविकों के मध्य विचारणीय यही एक प्रश्न था। दूसरे जहाजों के नाविक जुलूस के रूप में तलवार जहाज की ओर आने लगे। 21 फरवरी की प्रातःकाल सभी नाविक बाम्बे डाक यार्ड में एकत्रित हुए। नाविकों की लामबंदी से मानो गोरे सुरक्षा कर्मियों तथा उनके नेताओं को खतरे की अनुभूति हो गई थी। सैन्य दलों ने नाविकों की बैरकों पर गोली चला दी। कराची में भी नाविकों ने भदुर से चमक तक जुलूस निकाला और ब्रिटिश अनुशासन की धज्जियां उड़ा दीं। कराची में हिंदुस्तान जहाज पर हमला किया गया जिसे नाविकों ने विफल बना दिया।

इन्हीं गंभीर स्थितियों में नाविकों के नेताओं ने हड़ताल समिति का गठन किया। समिति की बैठक नर्मदा जहाज में हुई। उसमें विचार किया गया कि सरकार के इस हमले का सामना कैसे किया जाए।

सभी जहाजों के नाविकों तक यह संदेश पहुंच गया कि अपने साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति कड़ा विरोध व्यक्त किया जाए तथा अश्लील गालियां देने वाले गोरे अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दोपहर तक ब्रिटिश सैन्य दलों के हमले में और तेजी आ गई थी। उन्होंने न केवल कैसल बैरकों अपितु जहाज पर भी गोलियां बरसाईं। नाविकों ने भी गोली का उत्तर गोली से दिया। एडमिरल गोडफ्रे ने भारतीय सिपाहियों को गोली चलाने के लिये उकसाया, किंतु उन्होंने अपने ही भाईयों पर गोली चलाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

इस पर वहां ब्रिटिश टुकड़ियों को बुलाया गया। वह

अविस्मरणीय दिन था। उस दिन सात घंटों तक बंम्बई, कराची, विजाग, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर नाविकों तथा ब्रिटिश सैनिकों के मध्य युद्ध चलता रहा।

'हिंदुस्तान' पर संघर्ष

कराची में हिंदुस्तान जहाज पर नाविकों द्वारा किया गया संघर्ष नेवी के नाविकों के सशस्त्र संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ था। इसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास मे एक नये अध्याय का सूत्रपात किया था। बम्बई में रायल इंडियन नेवी के नाविकों की हड़ताल का समाचार 19 फरवरी, 1946 को कराची पहुंचा। उस समय कराची में हिंदुस्तान सहित दो जहाज थे। यहां पर कमांडर एक भारतीय था। उसने बैठक बुलाई और नाविकों को हड़ताल न करने के लिये मनाने का प्रयास किया। उसने कहा, ''किसी भारतीय अधिकारी को नियुक्त करने की आपकी एक मांग मान ली गई है। अतः आपकी शिकायत अनुचित है और हड़ताल करने का कोई कारण नहीं है...'' एक भारतीय अधिकारी द्वारा दिये गये इन तर्कों का नाविकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका इससे उत्तेजित होना स्वाभाविक ही था। जब उसके भारतीय भाईयों ने हड़ताल कर दी तो हिंदुस्तान उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। कुछ समय के पश्चात् बहादुर, चमक, हिमालय के नाविकों ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया तो सभी के भीतर ये भावनाएं बलवती हो रहीं थीं कि उन्हें हड़ताल में भाग लेना चाहिये। और भारतीय कमांडर द्वारा धमकियां देने पर भी वे हड़ताल में शामिल हुए। उस दिन गुप्त बैठक करने के पश्चात् उन्होंने ''प्रतीक्षा करो और देखो'' का निर्णय लिया। किंतु पहले ही शुरू हो चुकी हड़ताल का समाचार मिलने पर उन्हें अपने इस निर्णय को बदलना पड़ा। वे बाहिर आ गये और हड़ताल के पक्ष में नारे लगाने लगे। उन्होंने पहले अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट को बदलने की मांग रखी। उस दिन जहाज चलना था किंतु वह तब तक चल नहीं सका जब तक नाविकों तथा अधिकारियों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ। सभी जहाजों के नाविकों ने पुनः गुप्त बैठक की। उसमें उन्होंने हड़ताल करने का निर्णय किया और अपने संघर्ष का कार्यक्रम तैयार कर लिया।

''21 फरवरी! यह कराची के नाविकों का दिन था। नाश्ते के समय बहादुर के नाविकों ने सुना कि अन्य दो तटीय संस्थानों के नाविक भी हड़ताल में सम्मिलित हो गए हैं। वे इससे भाव विभोर हो गए और उन्होंने मत व्यक्त किया कि उनके लिये कार्रवाई करने का यही उपयुक्त समय है। वे परेड ग्राउंड की ओर दौड़े गए। वहां उन्होंने श्वेत सत्ता के प्रतीक झंडे को फाड़ डाला और उसे आग लगा दी। उसके पश्चात् वे गार्ड रूम की ओर बढ़े... गार्ड रूम में पहुंच कर उन्होंने सैल तोड़ डाले तथा सभी कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने दण्डात्मक कार्रवाई के सारे और वहां से रिकार्ड नष्ट कर डाले तथा चमक की ओर मार्च किया...''

नेवी के नाविकों के हृदय में ब्रिटिश सत्ता के लिये इतनी घृणा उत्पन्न हो चुकी थी कि वे प्रत्येक उस वस्तुओ को नष्ट कर देना चाहते थे जो विदेशी थी जैसे कि 'रेक्टर स्कूल'! उनमें कुछ नाविक तो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने साथियों से ऐसा न करने का अनुरोध किया। उनका कहना था ''यह सब हमारा है। जब हम इन घृणित विदेशियों को बाहर धकेल देंगे तथा अपनी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर लेंगे तो ये सब हमारे काम में ही आएंगी।'' उनका ऐसा कहना कितना बुद्धिमत्तापूर्ण था, इसकी कल्पना की जा सकती है। वे बिना झिझक सब नष्ट करने पर तुले हुए थे किंतु उसके परिणामों से अनभिज्ञ थे। अब उन्होंने तलवार तथा उसके नाविकों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शनों का आयोजन करने का निर्णय किया।

दूसरी ओर अधिकारी भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे थे। उन्होंने विद्रोह का दमन करने के लिये बलूच रेजमैंट तथा गोरखा पलटन को बुलाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा, ''वे अत्यंत विश्वासनीय टुकड़ियां तथा अच्छे लड़ाकू है।'' किंतु शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि वे गलत थे। क्योंकि उन्होंने अपने सहोदरों पर आक्रमण करने से इंकार कर दिया। अन्ततोगत्वा अधिकारियों को ब्रिटिश सैन्य बलों को बुलाना पड़ा। उस समय हिंदुस्तान पर केवल छः सौ नाविक थे। किंतु उनका पूरे जहाज पर नियंत्रण था। वे यह कहते हुए ऊपर चढ़ गए कि ''यदि आप हमारा जीवन बचाना चाहते हैं तो आगे मत बढ़िये।'' ब्रिटिश सिपाही आगे नहीं बढ़े किंतु उन्होंने मशीन गनों से गोलियां बरसा दीं। इस प्रकार दोनों पक्षों में सीधा युद्ध शुरू हो गया इस युद्ध में ब्रिटिश सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा। यह सारा वीरोचित प्रदर्शन गोदी कर्मचारियों ने डाकयार्ड पर किया। ज्यों ही ब्रिटिश सिपाही पीछे हटे, त्यों ही गोदी श्रमिकों की भीड़ में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

किंतु ब्रिटिश पलटन अब और भी बड़ा हमला करने की तैयारियां करने लगी थी। उन्होंने अपने सिपाही गोदी के चारों और तैनात कर दिये। उन्होंने नाविकों को एक आने से रोकने का प्रयास किया और इस प्रकार उन्होंने हिंदुस्तान को अलग-थलग कर डाला। नाविकों को चेतावनी दी गई। दोनों पक्षों ने अंतिम युद्ध की अच्छी तैयारी की थी। दुर्भाग्यवश, वहां पानी उतरने की लहरें चलनी शुरू

हो गई जिससे उसका स्तर नीचे चला गया। इसका नाविकों की रणनीति पर बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश आक्रमणकारी अच्छी स्थिति में थे जबकि नाविक उस स्थिति में नहीं रहे थे। वे निम्न लहर के करण निशाना साध नहीं सके। दोनों पक्षों में असमान युद्ध आधे घण्टे तक चला। नाविकों को गोलीबारी बंद करनी पड़ी। अनेक नाविक इस युद्ध में शहीद हो गए और अनेक घायल हुए। एक बहादुर युवा नाविक को आत्मसमर्पण करने के लिये श्वेत झंडा देकर भेजा गया। उस समय गोली चल रही थी। एक क्षण के लिये गोलीबारी बंद हुई। बंदूकचियों को पुन: गोली चलाने का आदेश दिया गया। इस प्रकार वह युवक श्वेत झंडे सहित वहीं ढेर हो गया। कितनी बड़ी त्रासदी थी यह। इस प्रकार हिंदुस्तान के नाविकों के जीवन वीरोचित क्षणों का दु:खद अंत हो गया। किंतु नाविकों के लिये देश भर में सहानुभूति तथा ब्रिटिश सिपाहियों के लिए जो दमनकारी एवं अपमानजनक ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, घृणा की लहर उत्पन्न हो गई थी। नाविकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 23 फरवरी को हजारों लोग धारा 144 को तोड़कर नाविकों के समर्थन में कराची मैदान में एकत्रित हुए।

विभिन्न झंडों के नीचे श्रमिकों की एकता

जिस समय तलवार तथा हिंदुस्तान के नाविकों द्वारा वह महान युद्ध किया गया था, उसी समय बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य शहरों की गलियों-बाजारों में एक और जबरदस्त संघर्ष किया जा रहा था। संघर्षशील लोगों ने अपने हाथों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के झण्डे पकड़े हुए थे। इन झंडों को हाथ में लिये श्रमिक भारी संख्या में आगे आए तथा उन्होंने नाविकों के समर्थन में एकजुट होकर संघर्ष किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आम हड़ताल का आह्वान किया। उसने श्रमिकों से नाविकों के संघर्ष के समर्थन में आगे आने का अनुरोध किया। श्रमिकों ने संघर्षशील नाविकों को हर प्रकार की सहायता जिसमें भोजन के पैकट भी शामिल थे, उपलब्ध कराई। छात्र अपने-अपने महासंघों के तत्वाधान में आगे आए। उस दिन अर्थात 22 फरवरी को श्वेत पुलिस तथा जनता के मध्य अनेक स्थानों पर कहीं तीखी तथा कहीं हल्की झड़पें हुई। हड़ताल के आह्वान को असाधारण प्रत्युत्तर मिला। इस प्रकार रायल इंडियन नेवी के नाविकों तथा श्रमिकों वर्ग एवं आम जनता के मध्य एकजुटता व्यक्त की गई थी।

कांग्रेस तथा लीग के नेता शीघ्र ही डगमगा गए। उन्होंने जिस 'उत्साह' से नाविकों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था वह फीका पड़ चुका था। जहां नाविकों ने उनसे अपने संघर्ष का समर्थन करने का अनुरोध किया था वहीं वे शुरू से उन्हें आत्मसमर्पण करने की नसीहतें देने में व्यस्त थे। अत: नाविकों ने उनसे पुन: अनुरोध किया, "आप जानते हैं कि हमारा संघर्ष न्यायोचित है तथा आप अवश्यमेव हमारा समर्थन करें। हम आप सबसे विशेष रूप से कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी से समर्थन करने का अनुरोध करते हैं। आप पूरी शक्ति से बम्बई में खूनी तांडव को रोकने का प्रयास करें।"

किंतु सब व्यर्थ। वे लोग उनकी सहायतार्थ आगे नहीं आए। जैसा कि प्राय: होता है, दोनों दलों के बड़े बुर्जुआ नेता पर्दे के पीछे ब्रिटिश शासकों के साथ सौदेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 22 फरवरी 1946 को नाविकों, जन साधारण, महिलाओं तथा बच्चों का संहार करने की अनुमति देकर अपनी ही जनता के साथ द्रोह किया था। जब ब्रिटिश शासक अन्याय तथा पक्षपात के विरोध में संघर्षशील जनता का संहार कर रहे थे तब बुर्जुआ नेताओं ने मौन साधे रखना ही उचित समझा। कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके अनुयायियों ने मुक्त हृदय से इस संघर्ष का समर्थन किया था। इससे श्रमिकों में उनका सम्मान बहुत बढ़ गया।

22 फरवरी 1946 का ऐतिहासिक दिन जब आम हड़ताल के लिये आह्वान किया गया था, बम्बई की सारी सड़कें वीरान थीं; कारखाने; मिले; पाठशालाएं महाविद्यालय बंद रहे। केवल सड़क के किनारे लगे बूथ पर दूध के लिये खड़ी महिलाओं तथा बच्चों की पंक्ति ही दिखाई दे रही थी। इसके अतिरिक्त सुबह के समय कोई भी व्यक्ति बाहर सड़क पर खड़ा दिखाई नहीं दिया। इस पर भी श्वेत सैनिक अंधाधुंध गोलीबारी करके बम्बई पर शासन करने के प्रयासों में लगे थे। मानों, वे नेवी के नाविकों के असफल संघर्ष का बदला ले रहे हों।

हमने 22 फरवरी को दामोदर हाल, परेल में महिला समिति के एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसे हड़ताल के आह्वान के दृष्टिगत रद्द करना पड़ा। उस समय हमें महिलाओं को यह सूचना देने के लिये जगह-जगह जाना पड़ा था कि वे उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिये न आएं। उस समय सुबह के 9.30 बजे होंगे। अचानक बंदूकों से सुसज्जित पुलिस गाड़ी क्रास लेन की ओर निकली और उसने सीधे गोली चला दी। कामरेड कमल ढोंडे जो हाल के निकट खड़ी थी की छाती में दो गोलियां लगीं और वह वहीं ढेर हो गयी। कुसुम रणदिवे के पांव में एक गोली लगी। अहल्या किसी न किसी प्रकार बच गई। पुलिस की गाड़ी फिर मुड़ी। इस

बार उसने दूध के बूथ पर पंक्तिबद्ध खड़ी महिलाओं तथा बच्चों पर गोली चला दी। जब खून से लथपथ महिलाएं तथा बच्चे एक-एक करके नीचे गिरने लगे तो पुलिस ने उन पर फिर से गोली चला दी। साधारण भारतीयों, श्रमिकों तथा नाविकों के विरुद्ध श्वेत सैनिकों की हिंसा का यह नग्न प्रदर्शन था। 22 फरवरी को इन गलियों में 250 व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जनता ने भी इसका तीव्र प्रतिकार करते हुए अत्यंत बहादुरी के साथ इस दरिंदगी के विरुद्ध संघर्ष किया। लोगों ने सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिये। पुलिस की गाड़ियों पर ईंटों तथा पत्थरों की वर्षा करके उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। भेंडी बाजार जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध जम कर संघर्ष किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेता यह सब देखते हुए भी उदासीन बने रहे और उन्होंने जनता के साथ खुला द्रोह किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की ओर से ब्रिटिश सैनिक अत्याचारों के प्रति विरोध भी व्यक्त नहीं किया। यदि ये दोनों दल जन संघर्ष का समर्थन करते तो स्थिति कुछ और ही होती। किंतु इसके विपरीत उन्होंने नाविकों को आत्मसमर्पण करने की अपमानजनक सीख दी। अन्ततः नाविकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वर्ष 1947 में सत्ता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं को यह गंभीर मामला हाथ में लेना चाहिये था किंतु उन्होंने उन नाविकों के साथ कभी न्याय नहीं किया जिन्हें ब्रिटिश शासन ने जेल में डाला था, यातनाएं दी थी और अश्लील गालियां बकी थी। नाविक निरंतर जेल में रहे। हड़ताल समिति ने हड़ताल के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिये जन साधारण, श्रमिकों, पार्टी कार्यकर्ताओं तथा छात्र महासंघों को बधाई दी। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था, ''पहली बार राष्ट्र सेवा में रत जनता तथा नेवी के नाविकों का रुधिर एक समान उद्देश्य के लिये गलियों तथा बाजारों में बहा है। हमारी महान जनता अमर रहे। जयहिंद।''

22 फरवरी, 1946 के शहीद नाविकों को सलाम करते समय हमें उस पावन उद्देश्य को विस्मृत नहीं करना चाहिये जिसके लिये उन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी थी इस प्रकार 1947 में उन्होंने हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशास्त किया था। इसके साथ ही हमें कांग्रेस तथा लीग के बुर्जुआ नेताओं के द्रोह को भी भूलना नहीं चाहिये। उन्होंने नाविकों, श्रमिकों तथा देश की साधारण जनता के साथ गद्दारी की थी। हम अपने इन महान शहीदों की स्मृति में प्रण करते हैं कि हम प्रत्येक मूल्य पर देश की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। □

संपादकीय. . .

[पृष्ठ 3 का शेष]

जनता के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिये कि कांग्रेस सरकार तथा राष्ट्रीय मोर्चे या जनता दल द्वारा अपनाई गई नीतियों में भारी अन्तर है।

जब तक राष्ट्रीय मोर्चे तथा वाम दलों के रूप में एक सशक्त विकल्प उभर कर सामने नहीं आता तब तक यही स्थिति बनी रहेगी और जन-साधारण अपार कष्टों को झेलने पर विवश होते रहेंगे।

वर्तमान में जनता के मंद उत्साह के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य साम्प्रदायिक दल अयोध्या में मन्दिर निर्माण के नारे को स्वर नहीं दे रहे हैं।

इन दलों की जिनमें अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित दल भी सम्मिलित हैं, नीतियों से जनसाधारण का मोह भंग हुआ है। हाल ही के पालिका चुनावों से उनकी आंखें खुल ही जानी चाहिये। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है।

सी आइ टी यू की पहलकदमी पर वामदलों तथा अन्यों की ओर से गठित जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच को जनता का भारी प्रत्युत्तर मिला है। उसके द्वारा आयोजित गिरफ्तारियां देने, सड़क जाम, रेल रोको जैसे सभी कार्यक्रमों जिनकी परिणति 29 सितंबर की जबरदस्त हड़ताल के रूप में हुई थी, में भारी संख्या में जनगण ने भाग लिया है! क्या यह अपने में ही एक आश्चर्यजनक संवृत्ति नहीं है? महिलाओं तथा पुरुषों ने भारी संख्या में स्वयं को गिरफ्तारी के लिये प्रस्तुत किया। मानव श्रृंखला बनाने तथा टार्चलाइट जैसे कार्यक्रम तो अत्यंत शानदार रहे। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के विरुद्ध एक चुनौती थी। इन्हीं आर्थिक नीतियों की विफलता का परिणाम कामबंदी, बेरोजगारी तथा रोजगार क्षति तथा संप्रभुता खो देने के रूप में निकला है। शायद आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस को ऐसे झटके लगें।

देश की सरकार तथा डाक्टर मनमोहन सिंह जनसाधारण द्वारा प्रतिकार किये जाने पर भी इन जन विरोधी नीतियों को जारी रखने पर तुले हुए हैं। यदि कांग्रेस अपनी नीतियों को नहीं बदलती तो यही जनता वर्ष 1995 में भी जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर पहले से कहीं अधिक शक्ति एवं ऊर्जा के साथ एकजुट होकर संघर्ष की कार्रवाइयों में भाग लेगी। आईये, हम महासमर की तैयारियों में जुट जाएं। □

तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई प्रायोजित

कामकाजी महिलाओं को उचित वेतन नहीं मिलते

कामकाजी महिलाओं की ओर से प्राय: शिकायत की जाती है कि ठेकेदार उन्हें उचित वेतन नहीं देते। विडम्बना तो यह है कि वे उनके विरुद्ध कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। यदि वे इस सम्बन्ध में अपने मालिकों के साथ बातचीत करती हैं या अपनी याचना श्रम विभाग के पास ले जाती हैं तो उन्हें अपनी आजीविका से ही हाथ धोने पड़ जाते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक सुनवाई के समय निर्माण उद्योग में कार्यरत चार महिलाओं ने बताया कि उन्हें मात्र 32 रुपये दैनिक वेतन मिलता है जबकि वे दिन में 10 घण्टे काम करने के लिये बाध्य की जाती हैं। इस सुनवाई के समय क्षेत्रीय श्रमायुक्त श्री आर रामलिंगम भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि निर्माण उद्योग के अकुशल श्रमिकों के लिये कानूनी रूप में 45.80 रुपये का दैनिक वेतन निर्धारित किया गया है।

श्री रामलिंगम ने बताया कि पिछले वर्ष तमिलनाडु में 300 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया था। उस समय केवल 18 ठेकेदारों की अनियमितताओं के प्रमाण मिल सके थे। उन्होंने बताया कि सामान्य रूप से इन मामलों की सुनवाई में 18 महीने का समय लग जाता है। जिन लोगों पर अनियमितताओं के आरोप में मुकद्दमा चलाया जाता है उनमें से आधे से भी कम लोगों को दण्डित किया जाता है।

श्री रामलिंगम ने स्वीकार किया कि निर्धारित वेतन से कम राशि का भुगतान करने की घटनाएं सरकारी आंकड़ों की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं। यह इसलिए होता है कि पीड़ित श्रमिक निरीक्षण के समय अपनी व्यथा बहुत कम सुनाते हैं। रोजगार की अनियमितता होने के कारण भी कामकाजी महिलाएं मौन साधे रखने के लिये विवश होती हैं।

यहां तक कि स्वच्छ रिकार्ड रखने वाली महिलाओं को भी वर्ष में छह मास से अधिक काम नहीं मिलता। श्रमिक शिक्षण एवं विकास केन्द्र मद्रास जिसने सार्वजनिक सुनवाई के लिये तैयारी की थी की ओर से बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी ठेकेदारों की भ्रष्ट कार्रवाईयों को झेलना पड़ता है। अध्ययन में बताया गया है कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में जहाज-घाट की सफाई का काम करने वाली कामकाजी महिलाओं का अधिकृत रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

मद्रास स्थित इस केन्द्र की ओर से सार्वजनिक सुनवाई के समय 15 पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट पिछले मास आयोजित उसके चार शोध सम्मेलनों की कार्रवाई पर आधारित है। इस में फार्मों, निर्माण उद्योग, मत्स्य पालन, बीड़ी, बुनकर तथा गन्ना उठाने जैसी विभिन्न श्रेणियों की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की पहचान की गई है। ये महिलाएं तमिलनाडु के आठ जिलों में कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) वी आर कृष्णा अय्यर पर आधारित एक चार सदस्यीय खण्ड पीठ द्वारा यह सार्वजनिक सुनवाई की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित यह अपने ढंग की पहली कार्रवाई है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने राज्य के विभिन्न भागों से आई तथा विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित कामकाजी महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर भी दिये।

आयोग की सदस्या पद्मा सेठ ने विचार व्यक्त किया कि सार्वजनिक सुनवाई को 'हमारे' तथा 'उनके' मध्य टकराव के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजकों ने सबसे पहले यह स्वीकारोक्ति की कि ऐसी सार्वजनिक सुनवाई को और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता है।

हार्दिक बधाई

सी आइ टी यू आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की जनता को हाल ही में सम्पन्न राज्य विधान मण्डलों के चुनावों में तथाकथित नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों की पुरोधा, प्रतिनिधि तथा उन्हें कार्यरूप देने वाली राजनीतिक शक्तियों को परास्त करने के लिए हार्दिक बधाई देता है। यह विजय निश्चित रूप से इन विनाशकारी नीतियों के विरुद्ध जारी संघर्ष को गति प्रदान करेगी।

सी आइ टी यू आशा व्यक्त करता है कि आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की जनता आने वाले दिनों में इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगी।

भुखमरी के पंजों में जकड़ा बचपन

दस वर्षीय पालानीवेलू ने शायद ही कभी भरपूर निद्रा का आनंद लिया हो। बाल्यकाल की अनेक सुखदायिनी सुविधाओं में से एक यह सुविधा भी उनके लिये दिवास्वप्न बनी हुई थी। उसने दो वर्ष पूर्व एक विद्युत करघा मिल में काम करना शुरू किया था। तभी से उसका मालिक अर्ध रात्रि के पश्चात् उसके घर आकर उसे जगाता और अपने साथ काम पर ले जाता।

कोमरापल्लम में स्थित विद्युत करघा मिलों के श्रमिकों के लिये एक सप्ताह छोड़ कर काम का दिन रात्रि एक बजे से आरंभ होता है। बड़ी इकाईयां इस काम के लिये 'चौकीदारों' की सेवाएं प्राप्त करती हैं। वे अर्ध रात्रि के समय चालों का चक्कर काटते हैं श्रमिकों के चालों के द्वार खटखटाते हैं और उन्हें जगा कर रात्रि एक बजे की पाली के लिये काम पर ले जाते हैं।

इस प्रकार अर्ध रात्रि के समय सारा शहर जीवंत हो जाता है। हजारों श्रमिक गलियों में निकल आते हैं। वे काम पर जा रहे होते हैं या दिन की पाली जो अर्ध रात्रि तक चलती है, को समाप्त करके अपनी चाल में लौट रहे होते हैं।

कोमरापल्लम की विद्युत करघा मिलों में 46 हजार श्रमिकों की श्रम शक्ति काम करती है। इसमें से लगभग दस हजार बाल श्रमिक हैं।

पलानीवेलू 12 घण्टों तक चलने वाली पाली में काम करता है। उसे केवल 110 रुपये प्रति सप्ताह मिलते हैं। सलेम जिले के इस नगर में 3 हजार पुरानी विद्युत करघा मिलें दिन रात चलती रहती हैं। वहां अत्यंत उत्तम कोटी की 'धोतियां' तथा 'लुंगियां' तैयार होती हैं जिन्हें खाड़ी देशों, बंगला देश, मलेशिया तथा इंडोनेशिया इत्यादि में निर्यात किया जाता है।

इन मिलों में बाल श्रमिकों से संबंधित कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। अनेक मालिक तो यह मानने के लिये भी तैयार नहीं होते कि उन्होंने बाल श्रमिकों को अपने यहां काम पर रखा है। इस पत्रकार को अपने एक स्थानीय संपर्क की सहायता से एक विद्युत करघा मिल में एक श्रमिक 'कुलानदाई' के मिलने के प्रयोजनार्थ जाने का अवसर मिला। उसके मालिक का कहना था-"हम 'कुलानदाई 'को काम पर नहीं रखते।" 'कुलानदाई' एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ है बच्चा! मालिक ने हमारी पूछताछ का गलत अर्थ निकाला था। वह हमें अधिकारीगण मान बैठा था जो उसकी मिल में कितने बाल श्रमिक काम करते हैं, की जांच करने हेतु आए होंगे।

एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की ओर से सर्वेक्षण कराया गया है। प्रमुख बल आवासीय समस्या, ग्रामीण पर्यावरण तथा समवर्गी विकास [थ्रैड] के मुद्दे पर दिया जा रहा है। उसके अनुसार दस वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों में लड़कियों की संख्या अधिक है। यह सर्वेक्षण कपड़ा श्रमिकों के एक हजार घरों में जाकर किया गया। थ्रैड की सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि उन घरों की अस्सी प्रतिशत महिलाएं तथा बच्चे विद्युत करघा मिलों मे काम करते हैं।

उन घरों के 1,650 बच्चों में से 1,132 बाल श्रमिक हैं। उनकी आयु दस वर्ष से कम है। उनमें 707 लड़कियां तथा 425 लड़के हैं। इससे पता चलता है कि बाल श्रमिकों के माता-पिता लड़कियों के प्रति रूढ़ीवादी धारणाओं जिनके चलते उन्हें पाठशालाओं में नहीं भेजा जाता, के वशीभूत उन्हें काम पर भेजते हैं।

अधिकांश माता-पिता आर्थिक कठिनाईयों के कारण अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। एक बारह वर्षीय लड़की शमीम वस्त्र उद्योग की एक इकाई में काम करती है। उसका कहना है कि उसके माता-पिता अपने तीनों बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। वह अपने माता-पिता के साथ काम पर जाती है ताकि अपने छोटे भाई को पढ़ाने में उनकी सहायता कर सके। शमीम का एक बड़ा भाई भी है। वह किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है तथा काम नहीं करता। उसका पिता अब्दुल मजीद साइकिल मुरम्मत करने का काम करता है। उसकी एक छोटी सी दुकान है।

शमीम के विपरीत अन्य अनेक बाल श्रमिकों का कहना था कि वे पाठशाला में जाना ही नहीं चाहते। थ्रैड सर्वेक्षण में जिन 1650 बच्चों से पूछताछ की गई थी, उनमें से 900 बच्चे केवल प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त कर सके हैं तथा 270 निरक्षर है। पालानीवेलू जिसने तृतीय कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पाठशाला को विदा कह दी थी, को पढ़ने में अच्छा न होने के कारण काम पर भेजा गया। यह जानकारी उसकी मां ने दी है।

पलानीवेलू विद्युत करघा मिल में सूत कातने वाली मशीन चलाता है। विद्युत करघा मिलों में कार्यरत बाल श्रमिकों की उल्लेखनीय संख्या सूत कातने के काम में लगी है। एक बालक बुनकर के कार्य का परिणाम कातते हुए सूत की निर्बाध आपूर्ति पर निर्भर करता है।

आश्चर्य की बात है कि बाल श्रमिक मिलों को तकनीकी दृष्टि से प्रोन्नत किये जाने के परिणामस्वरूप ही दृश्य पटल पर प्रकट हुए

हैं। कहा जाता है कि कोमरापल्लम में पचास के दशक तक जब बुनकरों को हथ करघा से अंतरित करके विद्युत करघा में लगाया गया था, बाल श्रमिकों की संख्या अधिक नहीं थी।

विद्युत करघा की थार-मशीनें अधिकतर लड़के चलाते हैं। लड़कियां धागे के गोले बनाने के काम में लगी हैं। ऐसे श्रम विभाजन के फलस्वरूप बालग श्रमिकों जो पीस रेट पर काम करते हैं, की ओर से बाल श्रमिकों पर काम का भारी बोझ डाल दिया जाता है।

इसी पीस रेट व्यवस्था के कारण विद्युत करघा श्रमिक 12 घंटों की पाली के विरोध में सामूहिक कार्रवाई करने से संकोच करते हैं। इसकी सर्वाधिक पीड़ा बाल श्रमिकों को झेलनी पड़ती है जो उतने घंटे औरों की भांति काम करते हैं। इसके बदले में उन्हें बालग बुनकर की अपेक्षा एक तिहाई पीस रेट दिया जाता है।

जनवादी विद्युत करघा श्रमिक संघ जिला सलेम के नेता श्री एन के नटराजन का कहना है कि श्रमिकों की एक भारी संख्या को इसलिये ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिये लामबंद नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बंधुआ रोजगार में लगे होते हैं। मिल मालिक उन्हें उधार देते हैं और अनेक मामलों में तो ऋणी परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे श्रमिक न अपनी खराब कामकाजी स्थितियों पर विरोध व्यक्त करते हैं और न ही ऋण बोझ से दबे होने के कारण अच्छे रोजगार के लिये अपनी नौकरी छोड़ कर अन्यत्र कहीं जाते हैं।

स्थानीय जनता का कहना है कि श्रमिकों ने ऐसे समझौते कर रखे हैं जिनके अंतर्गत पांच हजार से अधिक परिवारों ने विद्युत करघा इकाईयों के मालिकों के पास अपना गिरवी रखा हुआ है। बाल श्रमिक ऐसी ही बंधुआ मजदूरी का एक पक्ष हैं। वे मुदराई, रामनाथपुरम तथा त्रिरुनेवेली जिलों से आए प्रवासी परिवारों के साथ संबंध रखते हैं। वे आजीवन असहाय पीड़ित बने रहते हैं।

मकान किराया भत्ते के लिये बीड़ी महिलाओं का संघर्ष

पिछले वर्ष 21 नवंबर 1994 को आपरान्ह दो बजे सैंकड़ों महिलाएं पुणे नगर पालिका के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुईं। लाल झंडे हाथ में लिये ये महिलाएं जब सड़क पर आईं तो उन्होंने बरबस ही जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वर्षों से ये महिलाएं बीड़ी बनाने का काम करती आ रही हैं। उस दिन वे मकान किराया भत्ते के लिये लाल झंडे हाथ में लेकर आगे आईं थीं।

सरकार ने तीन तारीक को केवल 5% भत्ता अविलम्ब देने की घोषणा की थी। उसके अनुसार इसकी लिखित सूचना बीड़ी मालिकों को भी दी गई। किन्तु दोनों ने इस पर पूर्णतया मौन साधे रखा। वास्तव में 5% मकान किराया भत्ते की राशि अत्यंत अल्प थी। किन्तु वर्तमान में सभी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के कारण श्रमिक इस अल्प राशि को भी लेने पर विवश हो रहे हैं। बीड़ी निर्माता कम्पनी 'सेबल वेथायर कम्पनी' द्वारा किये गए आंकलन के अनुसार उसे श्रमिकों को 5% मकान किराया भत्ते के रूप में 1.5 लाख रुपये देने होंगे। इस कम्पनी में 3500 से लेकर 4000 तक श्रमिक काम करते हैं। वास्तव में यह राशि मालिक की जेब में ही चली जाएगी। महिला बीड़ी श्रमिकों के गुस्से का यही कारण है। वे मालिक की इस चाल को विफल करने के लिये ही संघर्ष के पथ पर अग्रसर हुई हैं।

सी आइ टी यू यूनियन ने इसकी एक सूची को जारी किया तथा इसके विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। बीड़ी यूनियन के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर प्रचार किया तथा पर्चे बांटे। ज्यों ही बी एम एस को पता चला, उसने इस कार्यक्रम में विघ्न डालने का प्रयास किया। उसने एक वक्तव्य जारी करके महिलाओं को आयुक्त के पास जाने का सुझाव दिया। किन्तु इससे बी एम एस को कोई लाभ नहीं हुआ। सी आइ टी यू के तत्वाधान में हाथ में लाल झंडे लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनका नारा था-''हम मकान किराया भत्ता लेकर रहेंगी'' तथा ''सी आइ टी यू-जिंदाबाद''। उनका जुलूस श्रम विभाग के कार्यालय तक गया जहां सदाशिव भट्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने श्रम सचिव श्री गीता से भेंट की। श्रम सचिव ने इस मामले पर विचार करने तथा मकान किराया भत्ते के प्रश्न पर तेजी से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

इसकी सूचना उसके पश्चात् आयोजित एक बैठक में श्रमिकों को दी गई। सी आइ टी यूनियन ने महिलाओं को बताया कि वर्ष 1991 के मध्य आवासीय सोसायटी की ओर से मकानों का आबंटन किया गया था, किन्तु वह कार्रवाई श्रमिकों को धोखा देने वाली थी। सी आइ टी यू ने इस मामले को हाथ में लिया। उसने अधिकारियों को 100-100 रुपये का भुगतान करने पर विवश कर दिया। बैठक में भाषण देते हुए विनय देशपांडे ने महिलाओं से अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने शोलापुर की बीड़ी महिलाओं के संघर्ष का उद्धरण भी दिया।

(जीवन मार्ग से साभार)

महिलाओं के लिये समान पारिश्रमिक अधिनियम की दुर्गत

☐ दिनेश चन्द्र

लैंगिक समानता तथा समान पारिश्रमिक के सम्बन्ध में भले ही संविधान में व्यवस्थाएं की गई हों या इस मुद्दे पर लम्बी-चौड़ी बातें क्यों न की जाएं किन्तु तथ्य तो यह है कि भारत के अधिकतर राज्यों में महिलाओं को समान काम के लिये समान वेतन नहीं दिया जाता और इससे सम्बन्धित कानूनों की खुले रूप में धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

एक सरकारी नोट के अनुसार समान पारिश्रमिक अधिनियम को न प्रभावशाली ढंग से कार्यरूप दिया गया है और न ही राज्यों की ओर से उस पर निगरानी रखी जाती है।

यह अधिनियम वर्ष 1976 में बना था। यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिये समान काम के लिये समान वेतन की व्यवस्था करता है। उसमें यह यह प्रावधान भी किया गया है कि रोजगार भर्ती, पदोन्नति इत्यादि के मामलों में पुरुषों तथा महिलाओं के मध्य कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा।

इस अधिनियम के इन प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये कदम उठाने, इसके (अधिनियम) क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर जारी करने, निरीक्षण कार्यों की सूचना देने, उल्लंघन करने की कार्रवाहियों का पता लगाने, उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने तथा इसकी अवधारणा को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से बार-बार अनुरोध करने पर भी राज्यों द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते।

केन्द्रीय सरकार ने अब राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस अधिनियम को कार्यरूप देने सम्बन्धी त्रैमासिक रिपोर्ट नियमपूर्वक समय पर प्रेषित करें। राज्यों द्वारा वर्ष 199०, 1991 तथा 1992 के लिये भेजी गई रिपोर्टों को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे अधिकतर राज्य महिलाओं की व्यथा के प्रति कितने उदासीन हैं। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में वर्ष 199०, 1991, तथा 1992 में 1912, 9०7 तथा 532 अनियमितताओं का पता लगाया गया किन्तु उनमें से केवल 592, 136 तथा 196 मामलों की पुष्टि की गई। वर्ष 199० तथा 1992 में कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

इसी प्रकार उड़ीसा में भी पहले दो वर्षों के मध्य कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। तीसरे वर्ष अनियमितताओं के कुल 1715 मामलों का पता लगाया गया किन्तु केवल 34 मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई तथा 36० मामलों की पुष्टि की गई। केरल में तीन वर्षों के मध्य किसी भी चुककार्त या अपराधी के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। यद्यपि वहां सभी मामलों की समीक्षा की गई तथापि वर्ष 199० में केवल 156 मामलों का पता लगाया गया।

अन्य राज्यों का रिकार्ड भी निराशाजनक रहा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, बिहार, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, मेघालय, राजस्थान, सिक्कम, त्रिपुरा तथा पांडिचेरी में एक भी अपराधी (चूककर्ता) के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया है।

कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत अच्छा काम हुआ है। इनमें असम भी शामिल है जहां वर्ष 199० में अनियमितताओं के 239 मामलों का पता लगाया गया और उनमें से 199 मामलों में कार्रवाई की गई। दिल्ली में वर्ष 199० के मध्य ऐसे केवल एक मामले का पता लगाया गया था, किन्तु अभी तक उसकी पुष्टि भी नहीं की गई है। गोवा में वर्ष 199०, 1991 तथा 1992 के मध्य 2०, 2० तथा 15 मामलों का पता लगाया गया किन्तु इतने ही मामलों की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

कर्नाटक राज्य में अनियमितताओं के सात मामलों में से केवल दो मामलों में ही दण्डात्मक कार्रवाई की गई।

तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल का कार्य प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। तमिलनाडु में 199० तथा 1992 के मध्य 31 तथा 2 मामलों का पता लगाया गया और इतने ही मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में 1991 तथा 1992 के मध्य अनियमितताओं के 3 तथा 31 मामले पाए गए। इतने ही मामलों की पुष्टि नहीं हो सकी है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 199० के मध्य 425 मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई की गई। इतने ही मामलों की पुष्टि नहीं की जा सकी। वर्ष 1992 के मध्य 247 मामलों में से केवल 94 मामलों की पुष्टि की गई है।

यद्यपि गुजरात में 199०, 1992 तथा 1993 के मध्य पाए गए 6०,82 तथा 43 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी किन्तु

उसने यह सूचना नहीं दी है कि इन तीन वर्षों के मध्य अनियमितताओं के कितने मामलों का पता लगाया गया। तथापि दिल्ली, गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश वे राज्य हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1993 तक पूर्ण या अपूर्ण सूचना अवश्य प्रेपित की थी। राज्य न केवल अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने में लज्जा का अनुभव कर रहे हैं अपितु वे इस अधिनियम की अवधारणाओं का पालन करने में भी विफल रहे हैं। केवल गोआ, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ही कुछ सीमा तक इन अवधारणाओं का पालन कर सके हैं।

उन राज्यों में भी जहां इस अधिनियम की अवधारणाओं का पालन किया गया है, अपराधी कुछ समय के पश्चात् 5 रुपये की अल्पराशि का जुर्माने के रूप में भुगतान करके बच निकलने में सफल हो जाते हैं। ज्ञातव्य है कि देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या पिछले चार दशक में बढ़ कर दोगुणा हो गई है। वर्ष 1951 में यह संख्या 4 करोड़ 1० लाख थी जबकि 1991 में यह 9 करोड़ 1० लाख से ऊपर जा चुकी थी। तथापि कुल श्रम शक्ति में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत न्यूनाधिक अल्प बना हुआ है। वर्ष 1951 में यह प्रतिशत 28.98 था जबकि 1991 में यह 29.०2 हो गया है।

रोजगार रुझानों से पता चलता है कि अधिक से अधिक कामकाजी महिलाएं कृषि या उससे सम्बन्धित क्षेत्रों और खदानों की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही हैं। संविधान के अन्तर्गत राज्य में अधिकारी स्तर पर नियुक्ति के मामले कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 (1) तथा (2) में निर्दिष्ट है कि राज्य के अन्तर्गत चलने वाले किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा।

राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 39 (डी) में कहा गया है कि महिलाओं तथा पुरुषों को समान काम के लिये समान वेतन मिलेगा। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ) द्वारा अपनाए गए 11 श्रम मानकों में से 6 मानकों की पुष्टि की है।

रूस में बाजार अर्थ व्यवस्था कामकाजी महिलाओं के जी का जंजाल बनी

रूस इन दिनों समाजवादी व्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण की पीड़ा झेल रहा है। इससे सर्वाधिक पीड़ित होने वाला वर्ग रूसी महिलाएं ही हैं।

रूस के श्रम मंत्रालय के अनुसार इस समय लगभग 15 लाख रूसी बेरोजगार हैं। बेरोजगारों में लगभग 7० प्रतिशत संख्या उन महिलाओं की है जिन्हें अपने रोजगार से वंचित होना पड़ा है। मंत्रालय का अनुमान है कि इसके अतिरिक्त 5 से 11 प्रतिशत तक ऐसे लोग बेरोजगार हैं जिनके नाम किसी सूची में सम्मिलित नहीं किये गये (ऐसे लोग जिन्हें अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया गया या औपचारिक रूप से कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

बाजार अर्थ व्यवस्था के सुधारों ने रूस के लगभग सभी सरकारी उद्यमों एवं उद्योगों को अपनी संरचना का पुनर्गठन करने तथा ''अतिरिक्त' श्रमिकों को निकाल बाहर करने पर विवश कर दिया है क्योंकि वे अब उन्हें 'झेलने' की स्थिति में नहीं रहे। अधिकांश मामलों में कारखानों के निदेशकों जिनकी विशाल बहुसंख्या पुरुष हैं, ने पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा कामकाजी महिलाओं को ही कार्य मुक्त करना श्रेयस्कर समझा है।

श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी अलेग्जांदर सैफोनोव जो महिलाओं सम्बन्धी मामलों के भी प्रभारी हैं, ''महिलाएं इसलिए सदा रोजगार से वंचित होती हैं क्योंकि कारखाना निदेशकों का मानना है कि वे उद्यम की अपेक्षा अपने पारिवारिक मामलों में अधिक दिलचस्पी लेती हैं।''

अपनी बात जारी रखते हुए वह कहते हैं, ''मालिक अपनी कम्पनियों को प्रतिस्पिर्धी बनाना चाहते हैं और वे प्रसूति अवकाश, बीमारी अवकाश या बच्चों की देखभाल के लिये अवकाश जैसी मदों पर पर कोई खर्च नहीं करना चाहते।''

पूर्व सोवियत संघ के प्रारम्भिक दिनों से ही महिलाओं को पुरुषों के समान माना गया था। महिलाएं पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकतीं थीं और उन्हीं की भांति रोजगार के अवसरों से लाभान्वित हो सकती थीं।

सोवियत संघ ने जहां महिला श्रमिकों तथा किसानों को अत्याधिक सम्मान दिया वहीं एक माता के रूप में भी महिलाओं की भूमिका का विकास किया। छह: से अधिक बच्चों को जन्म देने

[पेज 16 पर]

कामकाजी महिलाओं की पश्चिम बंगाल उप समिति

□ लीला दास

सी आइ टी यू के आठवें महाधिवेशन के पश्चात् हमने विभिन्न श्रमिक संघों के स्तर पर उप समितियों का गठन किया था। कलकत्ता गोदी एवं बंदरगाह, नगर निगम तथा सेक्सबी में तीन उप समितियां गठित की गईं।

कलकत्ता जिले की उप समिति ने फिलिप्स, एल एम इ, राज्य परिवहन, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक, तथा सी आइ टी यू के आधिपत्य वाली सिटी ईटिंग वर्करस यूनियन में इन यूनियनों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके कामकाजी महिलाओं के लिये पृथक उप समितियां गठित करने का निर्णय लिया था।

असंगठित क्षेत्र में हम किसी उप समिति का गठन नहीं कर सके हैं। तथापि हम बीड़ी तथा दर्जी यूनियनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां महिलाओं की भारी संख्या काम करती है। कलकत्ता उपसमिति ने समिति सदस्यों के मध्य पहले ही काम का विभाजन किया हुआ है। कामरेड कृष्ण सेनगुप्त ने दर्जी यूनियन तथा कामरेड अंजली दासगुप्त ने बीड़ी यूनियन का उत्तरदायित्व लिया है। इन समितियों की बैठकें प्रत्येक मास निर्धारित तिथि पर होती हैं।

कलकत्ता जिला समिति ने सी आइ टी यू के प्रत्येक कार्यक्रम के लिये इन उप समितियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है ताकि वे वर्तमान गम्भीर परिस्थिति में अपने-अपने कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो सकें। यदि हम कामकाजी महिलाओं को अपनी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास नहीं करेंगे तो निहित स्वार्थी तथ्व इसका लाभ उठा कर सी आइ टी यू आंदोलन को दुर्बल करने तथा श्रमिक आंदोलन में फूट डालने का प्रयास करेंगे। हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी उद्देश्य को सामने रख कर हम कामकाजी महिलाओं को अपनी गतिविधियों में शामिल करने के लिये गम्भीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। इसी मध्य इन उप समितियों की बैठकें 9 जुलाई तथा 15 जुलाई, 1994 को की गई थीं।

इसके साथ ही हमें कामकाजी महिलाओं की मांगों के लिये अलग रूप से तथा संयुक्त रूप से संघर्ष करना चाहिए। इसके लिये हमने अल्पावधि तथा दीर्घावधि के संघर्ष कार्यक्रम बनाए हैं। हमने राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय श्रम मंत्री को अपने मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिये सभी जिला स्तरों पर धरनों, तथा प्रदर्शनों के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा शिष्टमण्डल उच्चाधिकारियों से मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात् हमें समूह बैठकों, गुटीय बैठकों तथा अनेक स्तरों पर बैठकों का आयोजन करना होगा।

हमें संयंत्र या आवासीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिये पलना गृहों की व्यवस्था करने जैसी ज्वलंत मांग को तुरंत अपने हाथ में लेना होगा। श्रम कल्याण समिति 1969 की संस्तुतियां स्पष्ट रूप से पलना गृह बनाने का सुझाव देती हैं।

नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को आवासीय क्षेत्रों के समीप या बड़े शहरों एवं नगरों के केन्द्रीय स्थलों में पलग गृह स्थापित करने चाहियें ताकि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र की कामकाजी माताओं को संगठित किया जा सके।

वर्तमान में अपने अल्प वित्तीय संसाधनों के कारण नगर पालिकाएं तथा स्थानीय निकाय इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। यदि नगर पालिकाएं, स्थानीय निकाय तथा पंचायत समितियां इस मुद्दे पर पूर्ण उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर आगे आएं तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इसके लिये आवश्यक धन उपलब्ध करा सकती हैं।

हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय अभियान चलाना होगा ताकि सरकार को यह मांग स्वीकार करने पर बाध्य किया जा सके। पलना गृहों की मांग को राष्ट्रीय मांग पत्र में शामिल किया जाना चाहिये। □

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा तम्बाकू विधेयक का विरोध

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने तम्बाकू के उपयोग तथा बिक्री के विरुद्ध संसद के पिछले शरद ऋतु सत्र में लाए गए विधेयक का विरोध किया है। प्रकट रूप में यह विधेयक बीड़ी-सिगरेट के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिये लाया गया है, किन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य तम्बाकू के उत्पादन को बंद करके उसके स्थान पर नकदी फसलों की काश्त करना है।

इस सम्बन्ध में जारी किये गए एक संयुक्त वक्तव्य में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आशंका व्यक्त की है कि सरकार की इस कार्रवाई के फलस्वरूप न केवल तम्बाकू उत्पादकों अपितु तम्बाकू उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों की आजीविका तथा भविष्य पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। वक्तव्य में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को केवल मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श को कार्यरूप देने में तत्परता दिखाने के स्थान पर इस विधेयक के दुष्परिणामों का विस्तृत अध्ययन करना तथा सभी सम्बन्धित पक्षों से विचार विमर्श करना चाहिये था। भले ही यह विधेयक सद्भावना के आधार पर लाया गया है किन्तु इससे 75 लाख से अधिक बीड़ी श्रमिक जिनकी आजीविका का एक मात्र साधन तम्बाकू है, बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों तम्बाकू उत्पादकों की आर्थिक स्थिति पर कुठारघात होगा। विधेयक प्रस्तुत करते समय इन लोगों के आर्थिक पुनर्वास पर विचार नहीं किया गया। यहां तक कि वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाले तम्बाकू बोर्ड तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत चलने वाली भारतीय तम्बाकू विकास परिषद द्वारा उठाई गई आपत्तियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह भी रेखांकित किये जाने योग्य तथ्य है कि विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार का मनमाना विधेयक नहीं लाया गया है। वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वालों में सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड एम. के. पंधे, इंटक के श्री गोपेश्वर, बी एम एस के आर के भक्त, एच एम एस के श्री उमराव मल पुरोहित तथा एटक के श्री बी डी जोशी इत्यादि शामिल हैं।

पाकिस्तानी ट्रेड यूनियनें अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगी

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन महासंघ (ए पी टी यू एफ) तथा कामकाजी महिला संगठन (डब्ल्यू डब्ल्यू ओ) ने संयुक्त रूप से 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा एक मई को श्रमिक दिवस मनाने का निर्णय किया है। इन दोनों अवसरों पर समारोहों का आयोजन किया जाएगा।

दोनों संगठनों ने निश्चय किया है कि वे पाकिस्तान सरकार की जन विरोधी नीतियों, उदारीकरण तथा साम्राज्यवाद के विरोध में ट्रेड यूनियन आंदोलन को सुदृढ़ बनाएंगे तथा सत्ता में श्रमिकों की राजनीतिक भागीदारी के लिये संघर्ष करेंगे।

ज्ञातव्य है कि विगत मास पाकिस्तान की 6 प्रमुख ट्रेड यूनियनों के परिसंघ की ओर से रावलपिंडी में जो देश की राजधानी इस्लामाबाद के निकट स्थित है, निजीकरण, बेरोजगारी तथा मुद्रा स्फीति के विरोध में एक विराट प्रदर्शन एवं जनसभा का आयोजन किया गया था। इस में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लगभग 30,000 श्रमिकों ने भाग लिया। श्रमिकों ने अपनी मांगों के लिये मरी मार्ग की ओर कूच भी किया। जनसभा को सर्वश्री गुलज़ार चौधरी, खुर्शीद अहमद, मियां मुनीर, फजल-ए-वाहिद, तथा मोहम्मद याकूब इत्यादि प्रमुख ट्रेड यूनियन नेताओं ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने सरकार से श्रमिकों की मांगें "निजीकरण बंद करो, श्रमिकों के वेतन बढ़ाओ तथा न्यूनतम वेतन 1500 रुपये निश्चित करो, सभी बर्खास्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों को बहाल करो" इत्यादि मानने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी महिला विरोधी कानूनों को समाप्त करने तथा उनके समान अधिकारों की बहाली हेतु व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह निर्णय भी लिया गया कि यदि सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो वे संसद के समक्ष एक और विशाल प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। □

आंगनवाड़ी महिलाओं के सूचनार्थ

निजीकरण के विरुद्ध तथा नियमितकरण की मांग के पक्ष में आंगनवाड़ी महिलाओं का दिल्ली में 5 मई, 1995 को प्रदर्शन होगा

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 7-8 जनवरी को मद्रास में हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति की सचिव कामरेड विमल रणदिवे ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे थे। जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों में कामकाजी तथा आंगनवाड़ी महिलाओं की भूमिका, आंगनवाड़ी महिलाओं की 17 जून की हड़ताल तथा प्रबंध समितियों में महिलाओं को प्रोन्नत करना इत्यादि! प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लेते हुए अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये।

बैठक में भावी कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अनुसार कामकाजी महिलाओं की विशिष्ट मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये मांग दिवस मनाया जाएगा; 8 मार्च 1995 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा तथा नयी आर्थिक नीतियों के विरोध में एक सप्ताह तक जन अभियान चलाया जाएगा, बैठक में विचार व्यक्त किया गया कि कामकाजी महिलाओं पर नयी आर्थिक नीतियों पर भारी दुष्प्रभाव पड़ा है। अत: इस सम्बन्ध में लघु पत्रिकाओं तथा पर्चों का प्रकाशन किया जाएगा। 1-8 मार्च तक प्रत्येक राज्य में कामकाजी महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से कक्षाओं, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 31 मार्च तक भी चल सकता है। इसके साथ ही सी आइ टी यू के कन्द्रीय नेतृत्व के साथ विचार करके हिन्दी भाषी क्षेत्रों की महिला साथियों के लिये राजनीतिक कक्षा का आयोजन किया जाएगा।

'बाल मजदूरी के उन्मूलन' विषय पर हुई बहस के समय निर्णय लिया गया कि समिति इस अमानवीय प्रथा की समाप्ति तथा कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य को सामने रख कर काम करेगी। आंध्र प्रदेश ने कामरेड बी टी रणदिवे के भाषणों पर आधारित एक पुस्तिका का प्रकाशन किया है। प्रतिनिधियों ने देश की अन्य भाषाओं में भी उसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

रूस में बाजार. . .

[पृष्ठ 13 का शेष]

वाली माताओं को राज्य की ओर से विशेष पदक प्रदान किये जाते थे।

सोवियत संघ का विखण्डन होते ही स्थिति पूर्णतया परिवर्तित हो गई। जहां देश का नया संविधान अभी भी यही घोषणा करता है कि महिलाएं तथा पुरुष एक समान हैं वहीं वास्तविक जीवन में महिलाएं भारी विषमताओं एवं कष्टपूर्ण स्थिति को झेल रही हैं।

रूस की अर्थ व्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र सैन्य सामग्री (उपकरणों) कारखानों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की संख्या कुल श्रम शक्ति की लगभग आधी है किन्तु उन्हें अपने पुरुष सहयोगियों की अपेक्षा 40 प्रतिशत राशि ही पारिश्रमिक के रूप में दी जाती है। और अब काम से निकाल बाहर किये जाने वाले श्रमिकों में 70 प्रतिशत संख्या महिलाओं की ही है।

प्रतिरक्षा उद्योगों को नागरिक (गैर सैन्य) उत्पादन के उद्योगों में परिवर्तित करने और महिलाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करने वाले एक दल 'परिवर्तन तथा महिलाएं,' की अध्यक्षता श्रीमती इलेनोरा इवानोवा ने कहा, "महिला अभियंताओं (इंजीनियरों) तथा वैज्ञानिकों को हेयर ड्रेसर्स तथा सचिवों के रूप में नये रोजगार स्वीकार करने के लिये कहा जा रहा है। वे समान अधिकारों का व्याख्यान देते हैं और उसका परिणाम इस रूप में निकल रहा है।"

रूस की नयी निजी कम्पनियां भी महिलाओं के लिये जी का जंजाल बन रही हैं। उनकी ओर से ऐसे विज्ञापनों का प्रकाशन कराया जाता है जिनमें वे पुरुषों की ओर देख रही होती हैं, मानो वे पुरुषों के लिये ही बनी हैं। ऐसे विज्ञापनों का प्रकाशन गैर कानूनी है तथापि वे धड़ल्ले के साथ प्रकाशित हो रहे हैं। महिलाओं को यूनियनों की ओर से भी संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। गर्भवती होने पर उन्हें बड़ी बेरुखी से विदा कह दिया जाता है। **(डिटेचे प्रेस एजेंटर)**